

14

संख्या-526 / XVIII-(2)/F/13-13(5)/2010

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग

देहरादून: दिनांक 08 जुलाई, 2013

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राकृतिक आपदा अतिवृष्टि से बेघर हो गये परिवारों को वैकल्पिक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु मासिक किराया हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में मानसून अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदा/अतिवृष्टि से बेघर हो गये परिवारों (जनपदों से सूचना अप्राप्त) का शासन स्तर पर संज्ञान लेते हुए सम्यक विचारोपरान्त बेघर हो गये परिवारों को अधिकतम आगामी छः माह के लिए वैकल्पिक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु ₹ 2,000/- (₹ दो हजार मात्र) प्रति परिवार/ प्रति माह की दर से मासिक किराया अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- जिलाधिकारी द्वारा यह अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि किराया वितरण के उपरान्त कोई भी परिवार टैन्ट/अस्थायी आवासों में निवासित न रहे।

2- जिन परिवारों को वैकल्पिक आवासों के टैन्ट वितरित किये गये हैं, उनसे वह टैन्ट वापस लेकर सुरक्षित रूप से भण्डारित किये जायेंगे एवं उसका स्टॉक रजिस्टर रखा जायेगा।

3- यह वैकल्पिक आवासीय किराये की सुविधा केवल इस मानसून अवधि के लिए ही अनुमन्य होगी।

4- जिन परिवारों के पास किसी भी प्रकार के वैकल्पिक आवास उपलब्ध हैं उन्हें यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

5- प्राकृतिक आपदा प्रभावितों की सम्यक पहचान (Identity) एवं पुष्टि के उपरान्त ही धनराशि का वितरण किया जायेगा। धनराशि का गलत वितरण/उपयोग होने पर जिलाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

6- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय मा0 मुख्यमंत्री राहत कोष से वहन किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या-58 NP/वित्त अनु0-5/2013, दिनांक 08 जुलाई, 2013 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव

(c) Rewrite the following program after removing the

if any. Underline each correction :

include < iostream. h >

void main ()

(2)

संख्या-526 (1)/XVIII-(2)/F/13-13(5)/2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 3- अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- निजी सचिव-मा0 मंत्री, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 8- बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- अधिशासी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC), देहरादून।
- 11- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एम0एस0र
अनु सर्गि